न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री [illegible] स्नेहल नाना, आई ए एस
राजस्व विविध प्रकरण सं Case No. 2022/266
दायरा तिथि : 01.07.2022
आदेश दिनांक 26-07-22
प्रार्थीगण–

1. रामलाल पुत्र गोमारामजी
2. भरतकुमार पुत्र मूलचन्दजी
3. ललितकुमार पुत्र मूलचन्दजी
   जातिगण गुरू निवासीगण भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. घेवरचन्द पुत्र मुकना जाति गुरू निवासी भीटवाडा
2. चन्द प्रकाश पुत्र मूलचन्दजी
3. नीलम पुत्री मूलचन्दजी
4. सुखीदेवी पत्नि मूलचन्दजी
   जातिगण गुरू निवासीगण भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
5. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: आदेश ::– दिनांक : 26-07-22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम भीटवाडा के खसरा नंबर 168 के तरमीमी खसरा नंबरान् की तरमीम राजस्व नक्शा में मौका स्थिति के विपरित तरमीम होने से नक्शे में शुद्धि किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में इसका आधार यह बताया कि राजस्व अभियान में प्रार्थीगण के पिता/दादाजी को ग्राम भीटवाडा के खसरा नंबर 168 में रकबा 1.92 हैक्टर व रकबा 1.40 हैक्टर दिनांक 15.07.1971 को आवंटन की गई थी। वक्त आवंटन से स्व0 मुकना पुत्र गला व गोमा पुत्र गलाजी को पटवारी हल्का, भीटवाडा द्वारा मौके पर काबिज काश्त कराया था, उसी अनुसार उनके विधिक वारिशान प्रार्थीगण मौके पर आज भी काबिज काश्त है। आवंटन के समय खसरा नंबर 168 बडा होने से तरमीम नहीं की गई। इस भूमि में बाद में घेवरचन्द पुत्र मुकनाजी को 1.00 हैक्टर आवंटन की गई जिसके नये खसरा नंबर 168/3 हुये। राजस्व नक्शे में मौका स्थिति के विपरित घेवरचन्द पुत्र मुकनाजी की जगह रामलाल पुत्र गोमाजी एवं रामलाल पुत्र गोमाजी की जगह घेवरचन्द नक्शे में अंकित कर दिया। अतः नक्शे में मौका स्थिति के विपरित की गई उक्त तरमीम को दुरस्ती के माध्यम से मौका स्थिति अनुसार दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबध में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, भीटवाडा ने जांच कर पत्रादि अपने कार्यालय पत्रांक/भू.अ./2022/542 दिनांक 20.06.2022 से प्रेषित कर निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की–

1. खसरा नंबर 168, 168/2, 168/3 का आवंटन सैटलमेन्ट से पूर्व हुआ था। सैटलमेंट के बाद इन्हे सिर्फ खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। अतः उक्त तरमीम सही है या गलत है। इसकी राजस्व रेकर्ड से जानकारी मिलना मुश्किल है।
2. खसरा नंबर 168/1 का नियमन 2011 में हुआ लेकिन नामान्तरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकन नही है। जिसके कारण यह कन्फर्म नहीं हो सकता की यह तरमीम सही या गलत है।
3. मौका देखने पर स्पष्ट हुआ कि खसरा नंबर 168/1 पर जिसका कब्जा है, उसी कब्जा की तरफ तरमीम हुई है जो सही है। वो ही खातेदार है।
4. खसरा नंबर 168, 168/2, 168/3 के खातेदारो का कब्जा अनुसार व ऑनलाईन नक्शे में तरमीम का नजरी नक्शा भी पेश किया।
5. नक्शा लट्ठा कपडा वाले नक्शे में सिर्फ 168/1 की तरमीम की हुई है शेष तरमीम नहीं की हुई है। सीधे ऑनलाईन शीट में ही की गई है।

प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में नक्शे में तरमीम में ही त्रुटि को स्वीकार करने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर हितबद्ध पक्षकारान् घेवरचन्द पुत्र मुकना गुरू निवासी भीटवाडा एवं खसरा नंबर 168 रकबा 192 हैक्टर के रेकर्डेड अन्य खातेदार चन्द्र प्रकाश पुत्र मूलचन्दजी, नीलम पुत्री मूलचन्दजी, सुखीदेवी पत्नि मूलचन्दजी गुरू निवासीगण भीटवाडा को तलब किया गया। प्रकरण मे प्रभावित भूमि ग्राम भीटवाडा के खसरा नंबर 168/3 रकबा 1.00 हैक्टर के खातेदार व हितबद्ध पक्ष श्री घेवरचन्द पुत्र मुकना गुरू निवासी भीटवाडा एवं खसरा नंबर168 रकबा 1.92 हैक्टर के खातेदार व हितबहद्ध पक्ष श्री ललितकुमार पुत्र मूलचन्द जाति ने दिनांक 15.07.2022 को व्यक्तिशः उपस्थित होकर नोटेरी द्वारा तस्दीक शुदा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये प्रार्थीगण के आवेदन अनुसार एवं तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार नक्शे मे तरमीम शुद्धि किये जाने के अभिकथन किये गये।

पेज लगातार.........02

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण स Gcms No. 2022/255
अनवान रामलाल वगैरा बनाम घेवरचन्द वगैरा
अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम, 1956

ललित कुमार पुत्र मूलचन्द ने रेकर्ड में दर्ज अन्य सह खातेदार अपने भाई, बहिन व माता यथा चन्द्र प्रकाश, भरत कुमार, नीम व सुखी की ओर से सहमति व्यक्त की।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा हितबद्ध अप्रार्थीगण घेवरचन्द पुत्र मुकनाजी एवं ललितकुमार पुत्र मूलचन्दजी जाति गुरू सहमत होने से पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ग्राम भीटवाडा के खसरा नंबर 168 व उसके बटा नंबरो पर आवंटन /नियमन दिनांक से मौके पर सौपे गये कब्जे के अनुसार काबिज है, परन्तु आवंटन/नियमन के समय नक्शे में तरमीम नहीं की जाने एवं ऑन लाईन नक्शा में मौका स्थिति के विपरित नक्शे में तरमीम होने की जाने से वर्तमान नक्शा में त्रुटिपुर्ण इन्द्राज होने से नक्शे में शुद्धि की मांग प्रार्थीगण द्वारा की गई है। जिस तथ्य को अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार, बाली द्वारा स्वीकार करते हुये नक्शे में शुद्धि किये जाने की अनुशंषा की गई है। एवं जिस तथ्य को रेकर्ड में दर्ज हितबद्ध अप्रार्थी पक्ष भी स्वीकार करते है।

इस सबंध में राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के प्रावधानो का अवलोकन किया गया। **131. Maintenance of Map and Field Book- After the survey and record operation are over, the map and field book shall be maintained by the Land Records officer, in accordance with the rules made by the state Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded tferin all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or fileld and shall correct any errors wich are shown to have been made in such map or field book. According to section 131, the Land Record Officer(i.e. collector or S.D.O. as the case may be) shall be responsible for the proper maintenance of the map, and field book and to record necessary changes from time to time in accordance with the Raj. Land Revenue (Land Record) Rules, 1957.**

इस सबंध में राजस्थान भूराजस्व (भू0 अभिलेख) नियम 1957 में **नक्शा (मानचित्र)** के संबध में वर्णित नियम 59 व 60 में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निरीक्षक भू0 अभिलेख एवं सबंधित राजस्व अधिकारी **नक्शे की शुद्धि किये लिये जिम्मेदार हैं।** इस संबध में राजस्थान भूराजस्व (भू0 अभिलेख) नियम 1957 के **अध्याय द्वितीय में वर्णित उपखण्ड अधिकारियों के कर्तव्य शीर्षक में वर्णित नियम 369 के अनुसार–** उपखण्ड अधिकारी यद्यपि जिलाधीश के नियंत्रण में है फिर भी उसके साथ–साथ **अपने उपखण्ड में अभिलेख नक्शे की शुद्धि के लिए उत्तरदायी है उसे समस्त परिवर्तनों के आदेश देने के अधिकार हैं** तथा समस्त विवादास्पद नामान्तरकरण के मामले हस्तान्तरण व परिवर्तन जो उसके ध्यान में आवे निस्तारण कर सकता हैं। कर्मचारीगण पर देख रेख करने के अलावा उसे विशेषतया यह देखना चाहिए कि पारित आदेश स्पष्ट संक्षिप्त हैं तथा इनकी पालना कर ली गई हैं। उपखण्ड अधिकारी की भू0 अभिलेख के सम्बन्ध में उन कर्तव्यों के अलावा जो वह न्यायिक हैं दृष्टि से सम्पन्न करता है। इसके साथ ही राज.भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत रिकार्ड में हुई त्रुटि को दोनो पक्षो के सहमत होने पर उपखण्ड अधिकारी बतौर लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर शुद्धि के आदेश दे सकता हैं।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। माफिक जांच रिपोर्ट तहसीलदार, बाली प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि भीटवाडा के खसरा नंबर 168/2 एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 168/3 व 168 की राजस्व नक्शा में पटवारी हल्का, भीटवाडा व तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा व रिपोर्ट के अनुसार राजस्व नक्शे में शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते है। पटवारी हल्का, भीटवाडा व तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा व रिपोर्ट को आदेश का भाग माना जावे। तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, आदेशानुसार राजस्व नक्शे में शुद्धि कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में 15 दिवस में प्रस्तुत करे। इस आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व सबंधित को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे मोहिनी [illegible])
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 26-07-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner